(नियम 26)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 291 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 RT ACt

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम विनोद कुमार पुत्र लोकराम जाट व अन्य शेष जमाबंदी**

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.21	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 878 रकबा 2.00 है., वाके ग्राम **सूरजगढ** को **किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 30.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	

Scanned with Oken Scanner

तारीख हक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
19-7-22	आज यह पत्रावली मूल दावा में मिसल शामिल करने प्रार्थना पत्र पेश होने पर दावा के साथ पेश हुई। मूल दावा खारिज किया जा चुका है इसलिए अब इस प्रार्थना पत्र पर आगे चलाने हेतु कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से दर्ज होकर बाद तकमील शामिल दावा के मिसल रहे। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	